छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर , दिनांक मार्च 2011

कमांक एफ 20–120/2009/11/(6):– राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2009–14 में बिन्दु क्र. 10.14 के वर्णित प्रावधान ''लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज में निवेश करने पर उन्हें औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी'' । राज्य शासन एतद् द्वारा **''नवीन लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग तथा कोल्ड स्टोरेज''** इकाईयों को औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–4 में वर्णित सामान्य उद्योगों के समान औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अनुदान छूट एवं रियायतें प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। ये अनुदान/छूट/रियायतें आर्थिक दृष्टि से विकासशील, पिछड़े क्षेत्रों में निर्धारित निवेश के आकार एवं निवेश के वर्ग हेतु निर्धारित मात्रा में दिये जाने वाले पात्रता एवं शर्तों के अनुसार होंगी।

इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 10/सी.एन. 29972/बजट–5/वित्त/चार 2011 दिनांक 13.01.2011 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/–
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

------2

पृष्ठा.क्रमांक एफ 20–120 / 2009 / 11 / (6) रायपुर दिनांक मार्च 2011

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, रायपुर
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन)विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6.. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
7. सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
8. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)एवं (लेखा परीक्षक)छत्तीसगढ़ रायपुर
9. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
10. प्रबंध संचालक, सी0एस0आई0डी0सी0 लिमिटेड, रायपुर
11. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ .....
12. समस्त मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
13. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ – कृपया उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करें

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 20–120/2009/11/(6):–विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.04.2011 के द्वारा राज्य शासन एतद् द्वारा नवीन लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज में निवेश करने पर औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–4 वर्णित सामान्य उद्योगों के समान औद्योगिक अनुदान, छूट एवं रियायतें आर्थिक दृष्टि से विकासशील, पिछड़े क्षेत्रों में निर्धारित निवेश के आकार एवं निवेशक के वर्ग हेतु निर्धारित मात्रा में दिये जाने वाली पात्रता एवं शर्तों से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है।

उक्त जारी अधिसूचना के परिपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा ""छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं लॉजिस्टिक हब निर्माण संबंध मार्गदर्शी नियम– 2009"" दिनांक 01 नवम्बर 2009 से निम्नानुसार लागू करता हैः–

1– परिचयः–

राज्य में उत्पादित कृषि संपदा तथा वन्य संपदा के अंतर्गत आने वाले समस्त पदार्थों के संरक्षण हेतु तथा राज्य में अन्तर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु यह योजना 01 नवम्बर 2009 से प्रभावशील की गई है।

2– परिभाषाएं :–

2.1 इन नियमों के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अनुसूचति जाति/जनजाति, योजना, महिला, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग, अप्रवासी भारतीय, शतप्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, राज्य के मूल निवासी, भूमि मूल्य, भू प्रब्याजि की वहीं परिभाषाएं लागू होगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में दी गई है।

2.2 नवीन वेयर हाउस/गोदाम, लॉजिस्टक हब से अभिप्रेत है – राज्य की कृषि व वन्य संपदा के सुरक्षित संग्रहण, राज्य एवं राज्य के बाहर की व्यसासियक सामग्रियां यथा–ऑटो मोबाईल्स, मेडीसिन, केमिकल्स, टेक्सटाईल्स, फर्नीचर, गैस, ऑयल एवं विदेश व्यापार प्रक्षेत्र में निर्मित सामगी हेतु वेयर हाउस/गोदाम,लॉजिस्टक हब। इस शीर्ष में शो रूम सम्मिलित नहीं किये जावेंगे ।

2.3 नवीन लॉजिस्टिक हब से आशय है, वेयर हाउसिंग/गोदाम के साथ–साथ रेल/वायु/सड़क परिवहन से संबंधित विकसित की नयी अधोसंरचना को सम्मिलित करते हुए निर्मित लॉजिस्टिक हब।

2.4 स्थायी पूॅजी निवेश के अंतर्गत वेयर हाउसिंग(गोदाम)/लॉजिस्टिक हब के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि, शेड, भवन, केंटीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टेन्ड सिक्यूरिटी पोस्ट,

आंतरिक रोड, वाउण्ड्रीवाल प्लेटफार्म व्यवस्था (वे–ब्रिज), उपकण(क्रेन आदि), परिसर के भीतर सामग्री स्थानांतरण हेतु आवश्यक वाहन (ट्रक, भारवाहक वाहन आदि को छोड़कर), परीक्षण उपकरण तथा ग्रेडिंग व पैंकेजिंग हेतुं निर्मित की गई अधोसंरचना मान्य होंगे।

2.5 इस अधिसूचना के अधीन रूपये 2 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेश के साथ निर्मित होने वाले लॉजिस्टिक हब/वेयर हाउसिंग(गोदाम) सेवा प्रदान करने वाले सूक्ष्म एवं लघु संवा उद्यम तथा 2 करोड़ से अधिक स्थायी पूॅजी निवेश वाले लॉजिस्टिक हब/वेयर हाउसिंग(गोदाम) सेवा प्रदान करने वाले मध्यम सेवा कहलायेंगे ।

2.6 वैध दस्तावेज मे सम्मिलित है– ई.एम.पार्ट–1 (1 नवंबर 2.009 के पश्चात जारी)। इस अधिसूचना के प्रयोजना हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज के निर्धारित वैधता अवधि से संबंधित पात्रताधारी के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंको या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति/ऋण की सैद्धांतिक प्राप्त कर ली हो।

3– पात्रता :–

3.1 इस योजना के अंतर्गत कृषक, कृषकों का समूह, कृषक साझेदार, एन.जी.ओ., स्चयं सहायता समूह, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कम्पनी व सहकारी समितियों को पात्रता होगी।

3.2 यह आवश्यक है कि लॉजिस्टिक हब तथा वेयर हाउसिंग (गोदाम) प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्षो की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्ध की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो।

3.3 यदि भारत शासन/राज्य शासन या इसके किसी निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्था/नाबार्ड से अनुदान स्वीकृत किया गया हो, तो इस अधिसूचना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी ।

3.4 इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार/राज्य शासन या इसके किसी निगम/मंडल/बोर्ड/स्वायत्त संस्था को न्यूनतम 5 वर्ष के किराये पर उपलब्ध कराने पर भी पात्रता होगी ।

3.5 इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन के नियमों के तहत् समस्त क्लियरेन्स (अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, पंजीयन, अनुमति, अनुमोदन, लायसेंस आबंटन) प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

3.6 इस योजना के अंतर्गत भूमि का व्यवसायिक प्रयोजन हेतु होना एवं नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग की परिधि में होने पर अभिन्यास अनुमोदन तथा नगर एवं ग्रामीण विभाग की परिधि से बाहर होने पर स्थानीय निकायों यथास्थिति नगर निगम/नगर

पालिका/जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3.7 वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं लॉजिस्टिक हब आवासीय क्षेत्र में स्थित होने पर पात्रता नहीं होगी ।

3.8 इस अधिसूचना के अन्तर्गत योजना का लाभ लेने हेतु परियोजना लागत का न्यूनतम 25 प्रतिशत वित्त पोषण भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से वित्त पोषित होना आवश्यक है ।

3.9 इस योजना के अंतर्गत नवीन लॉजिस्टिक हब/वेयर हाउसिंग (गोदाम) को ही पात्रता होगी, इनके विस्तार पर पात्रता नहीं होगी ।

3.10 इस योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु संबंधित जिला व्यापार उद्योग केन्द्र से (स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग हेतु) ई.एम. पार्ट–1 एवं यथा आवश्यक ई.एम. पार्ट–2 होना आवश्यक है।

3.11 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु दी जाने वाली अनुदान छूट एवं रियायतों से संबंधित अधिसूचनाओं में अंकित पात्रता संबंधी यथास्थिति जो लागू हो, इन मार्गदर्शी नियमों के संदर्भ में लागू होगी ।

4– लॉजिस्टिक हब/वेयर हाउसिंग (गोदाम) के मापदण्ड –

4.1 वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं लॉजिस्टिक हब के लिए न्यूनतम निर्मित क्षेत्र, भूमि क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत से अधिक किन्तु 67 प्रतिशत से कम होना आवश्यक होगा ।

4.2 वेयर हाउसिंग (गोदाम) की संग्रहण क्षमता न्यूनतम 50 मे. टन होना चाहिए ।

4.3 निर्मित भवन पशु, पक्षियों से सुरक्षित, हवादार (जाली सहित), वाटरप्रूफ होना चाहिए ।

4.4 वेयर हाउसिंग (गोदाम) के दरवाजे/खिड़कियां इस प्रकार निर्मित हो कि निर्मित भवन में वर्षा व धूप से सुरक्षा हो सके ।

4.5 परिसर में प्रचलित नियमानुसार आवश्यक वैध एवं कार्यरत अग्नि शमन उपकरण होने चाहिए ।

4.6 वेयर हाउसिंग (गोदाम)/लॉजिस्टिक हब से संबंधित परिसर इस प्रकार स्थित हो कि वहां पर आसान पहुंच मार्ग हो, ट्रांसपोर्टिंग तथा लोडिंग–अनलोडिंग की पर्याप्त सुविधा हो ।

4.7 वेयर हाउसिंग (गोदाम)/लॉजिस्टिक हब से संबंधित परिसर में एक बोर्ड अंकित होना चाहिए जिसमें वेयर हाउसिंग (गोदाम) की क्षमता, स्वीकृति प्राप्त शासकीय विभागों के नाम, क्लियरेंस व दिये गये रोजगार की जानकारी भी अंकित हो ।

5– अनुदान, छूट एवं रियायतों की मात्राः–

औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत स्थापित नवीन लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) को आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु सामान्य उद्योगों की भांति निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी ।

6— **प्रक्रिया व अधिकारः—**

इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट व रियायतों के वही आवेदन पत्र होने जो संबंधित अधिसूचनाओं में धिसूचति है । पात्र आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ यथास्थिति जो लागू हो, वहीं दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो अनुदान, छूट व रियायतों से संबंधित अधिसूचनाओं में अधिसूचित किये गये हैं। जो दस्तावेज लॉजिस्टिक हब/वेयर हाउसिंग के निर्माण से संबंधित नहीं है, उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है ।

रू. 200 करोड़ तक के स्थायी पूंजी निवेश करने वाले सूक्ष्म एवं लघु सेवा उद्यम के प्रकरणों का निराकरण जिला स्तर पर एवं रू. 2.00 करोड़ से अधिक स्थायी पूंजी निवेश वाले लॉजिस्टिक हब/वेयर हाउसिंग के प्रकरणों का निराकरण राज्य स्तर पर, उसी प्रक्रिया के तहत होगा जो प्रक्रिया अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित अधिसूचनाओं में दी गई है ।

7— इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित आवेदन जिनके लिए आवेदन दिया गया है, पर संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतों से संबंधित अधिसूचनाओं की सभी कंडिकाएं यथास्थिति जो लागू हो, प्रभावी रहेंगी ।

8— व्याख्या एवं विवाद की किसी भी स्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करने केलिए आयुक्त, उद्योग संचालनालय सक्षम होंगे तथा राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

9— राज्य शासन द्वारा समय—समय पर जारी नियमों/अधिनियमों/ अनुदेशों का पालन अनिवार्य होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/—
(दिनेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क्र. एफ 20–120/2009/11/(6) रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2012

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ.ग. पंडरी, रायपुर
2. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. पंडरी, रायपुर
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सही/–

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वणिज्य एवं उद्योग विभाग